

79

रेल दावा अधिकरण  
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL  
दिल्ली / Delhi  
(प्रधान पीठ / Principal Bench)

13/15, माल रोड, दिल्ली-110 054  
13/15, Mall Road, Delhi-110 054

कार्यालय आदेश

दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.02.2022 के अपने आदेश के तहत दिनांक 02.03.2022 से अपने जिला/ अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया फिजिकल करने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। अतः उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि प्रधान पीठ में मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया दिनांक 02.03.2022 से पूर्ण रूप से फिजिकल होगी।

दिनांक 02.03.2022 से 11.02.2022 तक रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ में बेंच सिटिंग निम्न प्रकार होगी।


**बेंच - 1**

क. माननीय अध्यक्ष महोदय और श्री विजय कुमार, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, दिल्ली पीठ दिनांक 02.03.2022 से 04.03.2022 तक डिविजन पीठ का संचालन करेंगे।

ख. माननीय अध्यक्ष महोदय और श्री एस.के. शर्मा, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ दिनांक 07.03.2022 से 11.03.2022 तक डिविजन पीठ का संचालन करेंगे।

**बेंच - 2**

क. श्री सुनील माथुर, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, दिल्ली पीठ दिनांक 02.03.2022 से 11.03.2022 तक एकल पीठ का संचालन करेंगे।  
इसे माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


  
(संजय घोष)  
अपर रजिस्ट्रार

सं. रे.दा.अधि/दिल्ली/वीएम/2020

दिनांक 21.02.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. माननीय सदस्य (तकनीकी) के निजी सचिव को माननीय सदस्यों के सूचनार्थ।
3. कोर्ट मास्टर, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली।
4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली।
5. नोटिस बोर्ड पर बार एसोसिएशन के सूचनार्थ।
6. संबंधित कर्मचारी को रेल दावा अधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

०/८  
  
21/2/22